

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 940 / 2012 / भरतपुर

सहायक आयुक्त,
वृत्त अ, वाणिज्यिक कर विभाग, भरतपुर।
बनाम

.....अपीलार्थी

मैसर्स गुप्ता ऑटो मोबाइल्स,
नुमायश रोड, भरतपुर।

.....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री राजीव चौधरी, सदस्य
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एन.के.बैद,
उप राजकीय अभिभाषक।
नेहा सेठी,
अभिभाषक।


.....अपीलार्थी की ओर से

.....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 12/04/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी-विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, भरतपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 43/उपा-अपील्स/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 31.10.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक आयुक्त, वृत्त अ, भरतपुर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.01.2011 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 23 व 24 तहत कायम मांग राशि रूपये 5,83,529/- को अपास्त किया गया है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी टायर के थोक विक्रेता है। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि वर्ष 2008-09 के लिए प्रस्तुत वैट ऑडिट में राशि रूपये 7,82,53,272/- की क्रय राशि पर रूपये 89,65,998/- का इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा प्रस्तुत किया, जबकि संलग्न व्यापार खातों के अनुसार व्यवहारी फर्म द्वारा रूपये 7,35,85,042/- की क्रय राशि दर्शायी गई, जो कि 46,68,230/- कम है। अतः कर निर्धारण अधिकारी ने कम दर्शायी राशि पर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा चाही गई आई.टी.सी. 12.5 प्रतिशत से राशि रूपये 5,83,529/- को रिवर्स करके कर निर्धारण आदेश दिनांक 31.01.2011 पारित कर दिया। अपीलार्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.10.2011 द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए कायम मांग राशि रूपये 5,83,529/- को अपास्त कर दिया। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील कर बोर्ड के समक्ष अधिनियम की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।
3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।


12/04/18

लगातार.....2

4. अपीलार्थी विभाग की ओर से उप राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर कर निर्धारण आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि विक्रेता द्वारा दिये गये ट्रेड डिस्काउण्ट की राशि प्रत्यर्थी के विक्रय मूल्य का भाग होने से कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारी की विक्रय राशि पर करारोपण करने में कोई भूल नहीं की थी। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को अपास्त करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के चलते प्रत्यर्थी व्यवहारी को उसके विक्रेता व्यवहारी द्वारा ट्रेड डिस्काउण्ट दिया गया है। कर निर्धारण अधिकारी ने ट्रेड डिस्काउण्ट की राशि को विक्रय मूल्य का भाग मानते हुए पर इस करारोपण किये जाने में विधिक त्रुटि की है। विक्रेता की ओर से प्रत्यर्थी व्यवहारी को दिया गया ट्रेड डिस्काउण्ट वेट अधिनियम की धारा 2(36) के प्रावधानानुसार भी विक्रेता के विक्रय मूल्य में से कम नहीं हो सकती। अतएवं विक्रेता द्वारा वेट इन्वॉयस के सम्पूर्ण विक्रय मूल्य पर राज्य सरकार को वैट चुकाया जाकर की गई खरीद के सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी को विक्रेता द्वारा दिये गये ट्रेड डिस्काउण्ट की राशि पर कर आरोपित करना पूर्णतः अविधिक एवं अनुचित है। आगे उन्होंने अपने कथन में अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी ने आलौच्य अवधि हेतु प्रस्तुत किये गये ट्रेडिंग एकाउण्ट में विक्रेता व्यवहारी से ट्रेड डिस्काउण्ट (क्रेडिट नोट) प्राप्त करना दर्शाया गया है। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि में प्रस्तुत ऑडिट में राशि रुपये 7,82,53,272/- की क्रय पर रुपये 89,65,998/- का इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा प्रस्तुत किया, जबकि संलग्न व्यापार खातों के अनुसार व्यवहारी फर्म द्वारा रुपये 7,35,85,042/- की क्रय राशि दर्शायी गई। हस्तगत प्रकरण में विवाद का मूल बिन्दु यह है कि इस कम दर्शायी गई राशि रुपये 46,68,230/- को विक्रय मूल्य का भाग मानकर इस पर आई.टी.सी. स्वीकार किया जाना चाहिए अथवा नहीं? इसके लिए सर्वप्रथम अधिनियम की धारा 2(36) में 'विक्रय मूल्य' का अवलोकन किया जाना चाहिए :-

2(36) "sale price" means the amount paid or payable to a dealer as consideration for the sale of any goods less any sum allowed by way of any kind of discount or rebate according to the practice normally prevailing in the trade, but inclusive of any statutory levy or any sum charged for anything done by the dealer in respect of the goods or services rendered at the time of or before the delivery thereof, except the tax imposed under this Act;



Handwritten signature
12/04/18

लगातार.....3

Explanation II. - Cash or trade discount at the time of sale as evident from the invoice shall be excluded from the sale price but any *ex post facto* grant of discounts or incentives or rebates or rewards and the like shall not be excluded;

7. अधिनियम की धारा 2(36) की उक्त विक्रय मूल्य की परिभाषा के अनुसार विक्रय इन्चायस जारी होने के बाद प्रदत्त ट्रेड डिस्काउण्ट्स को विक्रय मूल्य से कम नहीं किया जा सकता। अतः अपीलार्थी के सम्पूर्ण खरीद मूल्य पर विक्रेता द्वारा पूरा कर चुकाया जा चुका है। कर निर्धारण आदेश के अवलोकन पर पाया कि कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी द्वारा डिस्काउन्ट के रूप में जो प्राप्तियां की हैं, उस राशि को विक्रय मूल्य में जोड़ दिया है जो प्रथम दृष्टया ही लेखा विधि अनुसार गलत है क्योंकि ये प्राप्तियां उसके लाभ हानि खाते का भाग है, न कि विक्रय मूल्य। किसी भी व्यवहारी के विक्रय मूल्य पर कर का आरोपण अधिनियम की धारा 4 के तहत किया जाता है। किसी भी व्यवहारी द्वारा माल के विक्रय के अलावा किसी तरह की राशि जो डिस्काउन्ट या प्रोत्साहन के रूप में प्राप्त हो यह उसकी अन्य प्राप्तियां हैं न कि विक्रय से हुई प्राप्तियां। इस पहलू को समझे बिना डिस्काउन्ट की राशि की प्राप्ति को विक्रय मूल्य में बढ़ा दिया है जो पूर्णतया गलत होने से इस अतिरिक्त करारोपण को अपास्त किया जाना विधिसम्मत है। इसी तरह के समान प्रकरणों में माननीय कर बोर्ड के निर्णय अपील संख्या-1844/2013/उदयपुर बनाम मैसर्स लोढ़ा सीमेन्ट सप्लायर्स, हिरणमगरी, उदयपुर निर्णय दिनांक 08.12.2016 व निर्णय मैसर्स हिंगड़ ट्रेडर्स बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-बी, उदयपुर (2012) 33 टैक्स अपडेट 199 में भी ऐसा ही अभिनिर्धारित किया गया है। ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ट्रेड डिस्काउण्ट्स की राशि पर आई.टी.सी. रिवर्स नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार अपीलीय अधिकारी ने अपना अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.10.2011 पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है।

8. परिणामस्वरूप अपीलार्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य

(राजीव चौधरी)
सदस्य